"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 288] रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 जुलाई 2017 — आषाढ़ 21, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2017

शुद्धिपत्र

क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(93). – छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 1/2017-राज्य कर (दर) तथा अधिसूचना क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(69), तारीख 28 जून, 2017 में,-

(i) पृष्ठ 504 (2) की क्रम संख्या 35 में "काफी, चाहे भर्जित या कैफिन रहित है या नहीं" के स्थान पर "काफी भर्जित, चाहे कैफिन रहित है या नहीं" पढें ;

(ii) पृष्ठ 504 (7) की क्रम संख्या 103 के पश्चात्, स्थापित करें-

"103(अ)	2302	चोकर, तीक्ष्ण और अन्य अपशिष्ट चाहे वह गुटिका के रूप में हों या नहीं धान्य के या फलीदार पौधों के, पेषण या अन्य कार्य से व्युत्पन्न हो [जलीय खाद्य जिसके अंतर्गत झींगी खाद्य और झींगा खाद्य भी है, कुक्कुट खाद्य और पशु खाद्य,सूखी घास और पुआल, दालों का अनुपूरक और भूसी, सांद्रण और योज्यक, गेहूं का चोकर और तेल निकाला गया केक से भिन्न]";

(iii) पृष्ठ 504 (11) की क्रम संख्या 165 में "2710 19 00" के स्थान पर "2711 19 00" पढें;

(iv) पृष्ठ 504 (15) की क्रम संख्या 234 में "84 या 85" के स्थान पर "84, 85 या 94" पढें;

(v) पृष्ठ 504 (28) की क्रम संख्या 16 के पश्चात्, स्थापित करें-

"16(अ)	0805	निम्बुकुल फल,जैसे कि नारंगियां, मैंडारिन, (जिसे अंतर्गत टेन्जेरीन और सटसूमसयी हैं) ; क्लेमेन्टाइन,विलकिंग और अन्य वैसे हि निम्बुकुल हाईब्रिड, अंगूर फल जिसके अंतर्गत पोमलोस भी है, नींबू (निम्बुकुल नींबू, निम्बुकुल लिमोलम) और लाइम (निम्बुकुलआरन्टीफोलिया, निम्बुकुल लैटिफोलिया), शुष्कित";

(vi) पृष्ठ 504 (30) की क्रम संख्या 47 में "2202 90 10" के स्थान पर "2202 99 10" पढ़ें;

(vii) पृष्ठ 504 (30) की क्रम संख्या 48 में "2202 90 20" के स्थान पर "2202 99 20" पढ़ें;

(viii) पृष्ठ 504 (30) की क्रम संख्या 49 में "2202 90 90" के स्थान पर "2202 99 90" पढ़ें;

(ix) पृष्ठ 504 (30) की क्रम संख्या 50 में "2202 90 30" के स्थान पर "2202 99 30" पढ़ें;

(x) पृष्ठ 504 (97) की क्रम संख्या 163 के पश्चात्, स्थापित करें-

"163(अ)	8701	"1800 से अधिक क्षमता के ईंजन के अर्ध-अनुयान के लिए सड़क ट्रैक्टर"।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 12th July 2017

CORRIGENDUM

No. F-10-43/2017/CT/V (93). — In the Notification of the Government of Chhattisgarh, in the Commercial Tax Department, No.1/2017-State Tax (Rate) and notification No. F-10-43/2017/CT/V (69), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017,-

(i) at page 504 (107), serial no. 35, for "Coffee, whether or not roasted or decaffeinated", read "Coffee roasted, whether or not decaffeinated";

(ii) at page 504 (110), after serial no. 103, insert-

"103A	2302	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants[other than aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed and cattle feed, including grass, hay and straw, supplement and husk of pulses, concentrates and additives, wheat bran and de-oiled cake]";

(iii) at page 504 (113), serial no. 165, for "2710 19 00", read "2711 19 00";

(iv) at page 504 (116), serial no. 234, "84 or 85", read "84,85 or 94";

(v) at page 504 (124), serial no. 16, insert-

"16A	0805	Citrus fruit, such as Oranges, Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids, Grapefruit, including pomelos, Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), dried";

(vi) at page 504 (126), serial no. 47, for "2202 90 10", read "2202 99 10";

(vii) at page 504 (126), serial no. 48, for "2202 90 20", read "2202 99 20";

(viii) at page 504 (126), serial no. 49, for "2202 90 90", read "220299 90";

(ix) at page 504 (126), serial no. 50, for "2202 90 30", read "2202 99 30";

(x) at page 504 (169), serial no. 169, insert-

"163A	8701	Road tractors for semi-trailers of engine capacity more than 1800 cc".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2017

शुद्धिपत्र

क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच (94). – छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 2/2017-राज्य कर (दर) तथा अधिसूचना क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच (70) में, तारीख 28 जून, 2017 में,-

(i) पृष्ठ 504 (178) की क्रम संख्या 45 में "शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवच युक्त, चाहे त्वचा रहित या विपाटित हैं अथवा नहीं" के स्थान पर "शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवच युक्त, चाहे त्वचा रहित या विपाटित हैं अथवा नहीं [उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिनका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]" पढ़ें ;

(ii) पृष्ठ 504 (184) की क्रम संख्या 148 (vi) में से "[प्रस्तावित जी.एस.टी. शून्य]" का लोप करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 12th July 2017

CORRIGENDUM

No. F-10-43/2017/CT/V (94). – In the Notification of the Government of Chhattisgarh, in the Commercial Tax Department, No.2/2017-State Tax (Rate) and notification No. F-10-43/2017/CT/V (70), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017,-

(i) at page 504(188), in serial no. 45, for "Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split", read "Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split [other than put up in unit container and bearing a registered brand name]";

(ii) at page 504(192), in serial no. 148, omit "[proposed GST Nil]".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017